a.I. 167, andhey

(3)

FORM NO. 123 पंजिका संख्या 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3) (आदेश 24 नियम 7, आदेश 32 नियम 3)

ORDER SHEET आदेश पत्र

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या

...rt of के न्यायालय में सहायक कलक्टर at पर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़ी

...d of Case प्रकरण का प्रकार 136 RLR ACT

...mber of Case प्रकरण की संख्या 141/2020 Year वर्ष

कैलाराम चौरिल Versus बनाम रतीराम चौरिल

Date दिनांक	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	Brief Note of Compliance of the order आदेश की पालना का संक्षेप टिप्पणी
1	2	3
7.10.2022	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त / अवकाश पर होने से पत्रावली ईत्तुवा होकर दिनांक 18.11.2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
18.11.2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। धारा 151 CPC पर मजीद बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 25.11.2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़ी	
25.11.2022	पत्रावली आज पेश हुई। पूर्व पेशी पर उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। अप्रार्थी पक्ष ने अपनी बहस में बताया था। कि पूर्व में TDR द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र तरमीम दुरुस्ती ख.नं. 37 व 37 के बटता नम्बरों का पेश हुआ जिसे स्वीकार करते हुए 11.5.2019 को तरमीम	

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट ... जिला धौलपुर

ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चात्‌वर्ती)

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या

Year वर्ष

Number of Case प्रकरण की संख्या

Versus बनाम

Date दिनांक	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश
1	2
	दुरस्ती का आदेश क्रमांक 433, 435 जारी हुआ व इसकी पालना में नामांतरण संख्या 650 दिनांक 25.5.19 भरा गया। उक्त आदेश को आगे चुनौती नहीं दी है व इन स्थिती में इस न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत धारा 131, 136 LR ACT पोषणीय नहीं है। प्रार्थी वकील द्वारा सीधे ही जवाब न देकर बहस में भाग लिया व बताया कि मूल विवाद समर्पित भूमि जो रास्ते के प्रयोजनार्थ की गई थी उसके सही तरमीम को लेकर है पूर्व में प्रार्थी के पक्षकारान द्वारा जो भूमि रास्ते हेतु समर्पित की उस अनुसार रास्ते की तरमीम नहीं की गई है पुन: तरमीम शुद्धि हेतु आदेश कब हुआ, प्रार्थी को पता नहीं है जो तरमीम शुद्धि हुई उसमें समर्पण नामा अनुसार रास्ते की तरमीम नहीं हुई है प्रशासनिक आदेश था। अत: उक्त प्रार्थना-पत्र धारा 151 CPC [illegible]रित करें। प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

(4)

ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चात्वर्ती)

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या ....

Number of Case प्रकरण की संख्या .... Year वर्ष ....

.... Versus बनाम ....

Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	Brief Note of Compliance of the order आदेश की पालना का संक्षेप टिप्पण
2	3
दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। राजस्व रिकार्ड अनुसार उक्त ख.नं. 37, 37/1, 37/2 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावड़ी के समक्ष तहसीलदार बावड़ी द्वारा अंतर्गत धारा 131, 136 LR ACT 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें जमाबंदी सेग्रीगेशन कार्य को पूर्ण करने एवं नक्शों में दर्ज खसरा नम्बरों का वन टू वन मिलान के अन्य नंबर भिन्न खसरा में रिकार्ड एवं मौका व नक्शे में भिन्नता आ रही है। तथा एक खातेदार को खसरा नम्बर में एक से अधिक जगह कब्जा है जबकि जमाबंदी में एक ही बटा नंबर डाला हुआ है विभाजन में प्राप्त एवं जमाबंदी में दर्ज खसरा नम्बर में भिन्न नम्बर पर कब्जा है उन खातों व खसरा नम्बर को clear करने हेतु नक्शा दुरस्ती प्रस्ताव, पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक की टिप्पणी के पश्चात TDR की अनुशंषा के साथ प्राप्त हुआ जिस पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय	अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

यूनिक ट्रेडर्स 51, एमजीएच रोड, जोधपुर 2623675, 2615421

ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चात्वर्ती)

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या ....

Number of Case प्रकरण की संख्या .... Year वर्ष ....

.... Versus बनाम ....

Date दिनांक	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश
1	2
	पारित किया गया।
	चूंकि यह स्पष्ट है कि खसरा सं. 37 व 37 के बट्टा नम्बर को नक्शे में दुरस्ती न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावड़ी के आदेश द्वारा की गई। प्रार्थी को अगर इस आदेश के पश्चात हुई राजस्व रिकार्ड की शुद्धि को लेकर अगर कोई विवाद है तो संबंधित पक्ष उक्त दुरस्ती आदेश को सक्षम न्यायालय में अपील द्वारा challenge कर सकता है। प्रार्थी वकील द्वारा चाहा गया अनुतोष वर्तमान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावड़ी से इस प्रार्थना पत्र द्वारा नहीं दी जा सकती है। अतः अप्रार्थी का प्रार्थना-पत्र धारा 151 CPC स्वीकार कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 LR Act ~~क्षेत्राधिकारी~~ क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट ... बावड़ी जिला जोधपुर